रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2017/श्रावण 9, 1939
No. 2117] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का.आ. 2413(अ).—प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ.1136, तारीख 16 अप्रैल, 2017 द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक, का.आ. 187(अ), तारीख 19 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना समाविष्ट करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से दो मास की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित की गई थी।

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, उक्त प्रस्ताव पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित संख्यांक का.आ.187(अ), तारीख 19 जनवरी, 2017, में उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या लोप किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, 19 जनवरी, 2017 से, भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"भाग – 2

क्र. सं.	कर्मचारियों के प्रवर्ग	जनवरी-जून, 2016 के लिए, प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए या 271 से आगे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर जिसे औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मूल वर्ष 2001=100) है	
		जमीन के ऊपर	जमीन के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	1.29	1.61
2.	अर्ध-कुशल/अकुशल-पर्यवेक्षीय	1.61	1.93
3.	कुशल और लिपिकीय	1.93	2.25
4.	अत्यधिक कुशल	2.25	2.52"।

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यूसी (एम.डब्ल्यू)]

एन.के.संतोषी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

S.O. 2413(E).—Whereas the draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1136, dated the 16th April, 2017 proposing to amend the notification of the Ministry of Labour and Employment number S.O. 187(E), dated the 19th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th April, 2017;

AND whereas no objections and suggestions received on the said proposal;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 187 (E), dated 19th January, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such amendment namely:—

In the said notification, in the Schedule, for Part-II, the following shall be substituted with effect from the 19th January, 2017, namely:—